FOOD CORPORATION OF INDIA
HEADQUARTERS
16-20, BARAKHAMBA LANE
NEW DELHI-110001

ADVERTISEMENT FOR ENGAGING SUPERANNUATED CIVIL ENGINEERS FROM CENTRAL GOVT./ STATE GOVT./PSU FOR THE POST OF GENERAL MANAGER (ENGINEERING) ON RE-EMPLOYMENT BASIS

Applications are invited from Civil Engineers who have superannuated from Central Govt/State Government/PSU and fulfilling the following eligibility conditions for filling up of 02 (two) posts of the General Manager (Engineering) in Food Corporation of India, on Re-Employment basis, as per terms and conditions given at **Annexure-I**:

1	Age	Age should be below 61 years as on **31.10.2022**
2	Educational Qualification	Minimum qualification required – **GENERAL MANAGER (ENGINEERIING)** **Educational Qualification & Work experience:** **Essential:** (1) Degree in Civil Engineering or its equivalent from a recognized University. (2) The officers who have superannuated from Central/State Govt./PSU at the pay level 13 (CDA)/E-7(IDA) and worked as Civil Engineers in the respective organizations. The pay scale granted on account of MACP will not be considered for eligibility for the re-employment. **Desirable:-** (1) Persons who have held charge of Civil Engineering Division of Central / State Govt./Industrial Establishment / Public Sector Undertakings and have experience of planning and execution of civil projects will be preferred.

Interested candidates may submit application in the prescribed proforma **(Annexure-II)** (in type-written format only) alongwith attested copies of their educational qualification certificates, retirement orders and other related documents etc. which shall reach Food Corporation of India, 16-20, Barakhamba Lane, New Delhi-110001 within 30 days from publication of advertisement in the newspaper.

Details and terms & conditions (including all Annexures) can be viewed at FCI website http://www.fci.gov.in.

Deputy General Manager (Estt)

ANNEXURE-II

APPLICATION FORM FOR APPOINTMENT OF GENERAL MANAGER(ENGG) ON RE-EMPLOYMENT BASIS IN FOOD CORPORATION OF INDIA

Space for Photo

<table>
<tr><td>1</td><td>Advertisement in Newspaper dated</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Name in full (Block Letters)</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Father's/Husband's Name</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Date of Birth</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Date of Superannuation from Govt. Service</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Age as on 31.10.2022</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>7</td><td>Complete Permanent Address</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>8</td><td>Complete Correspondence Address</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>9</td><td>Telephone /Mobile No.</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>10</td><td>Email ID</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>11</td><td>Last pay drawn (also attach copies of LPC and PPO)</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>12</td><td>Name of the Department from where the Officer superannuated</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>13</td><td>Whether Central/State Govt/PSU</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>14</td><td>Pension drawn</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>15</td><td>Organisation where candidate has served (separate sheet shall be enclosed)</td><td>Scale of Pay</td><td>Pay</td><td>From</td><td>To</td><td>Designation</td><td>Nature of work performed</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Post and pay level held at the time of retirement

(Last pay certificate to be attached alongwith copy of Pension order to be attached)</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>17</td><td>Date of Appointment</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>18</td><td>Preferred place of posting i.e. Delhi NCR / Chennai/ Mumbai/Kolkata/Guwahati</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>19</td><td>Vigilance status</td><td colspan="6">Vigilance clearance certificate from the last Office to be attached</td></tr>
</table>

20. For additional relevant information, if any, in support of your suitability for the said appointment. Please attach a separate sheet.

Place:
Date:

Name & Signature of the Applicant

DECLARATION

I, solemnly declare that the particulars furnished above are true and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect/incomplete or ineligibility being detected at any time before or after selection / interview/appointment, my candidature is liable to be rejected and I shall be bound by the decision of the Food Corporation of India. I have read the guidelines and ready to accept all the terms and conditions for engagement of Re-employment.

Place :

Date:

Signature of Candidate

Full Name of applicant: ___________________

ANNEXURE-I

Term and Conditions Governing the Appointment of Superannuated Civil Engineers of Central Govt./State Govt./PSU's on Re-employment basis

1. Re-employment will be given initially for one year to those who have superannuated from CENTRAL GOVERNMENT / STATE GOVERNMENT / PSUs.

2. The Re-employment of the superannuated officer may be extended for one more year or upto the age of 62 years, whichever is earlier on the basis of satisfactory performance. The place of posting will be Delhi NCR /Chennai/ Mumbai/Kolkata/Guwahati. The working hours will be from 0930 hrs to 1800 hrs on all week days (Monday to Friday) except holidays.

3. The appointee should be free from vigilance angle and shall furnish vigilance clearance certificate from their respective office/ cadre controlling authority.

4. The appointee shall sign an agreement of confidentiality with the FCI containing a clause on Ethics and Integrity. **(Annex.III)**

5. The appointee shall perform the duties assigned to him/her. The competent authority reserves the right to assign any duty as and when required. No extra/additional allowance will be admissible in case of such assignment.

6. The appointee shall not be entitled to any benefit like Provident Fund, Pension, Gratuity, Medical Treatment, Seniority, Promotion etc. or any other benefits available to the Government / FCI employees, appointed on regular basis.

7. The appointee will not have any claim or right for regular appointment to any post.

8. The appointee will draw lumpsum amount equivalent to basic pay, as he was drawing at the time of superannuation, which will be reduced by basic pension drawn by him/her, in case of Officers superannuated from Government sector in CDA pattern or fixed remuneration of Rs. 80,000/- per month, in case the Officer superannuated from CPSE with IDA pay scales.

9. No Dearness Allowance, increment, HRA and other allowances as admissible to the Central Govt. /State Govt. / PSUs servants, shall be admissible.

10. Transport Allowance: An appropriate and fixed amount as Transport Allowance for the purpose of commuting between residence and the place of work shall be allowed not exceeding the rate applicable to the

appointee at the time of retirement. The amount so fixed shall remain unchanged during the term of appointment. However, the appointee may be allowed TA/DA on official tour, if any, as per the entitlement of the post of General Manager of Food Corporation of India at the time of retirement.

11. Paid leave of absence may be allowed at the rate of 1.5 days for each completed month of service. Accumulation of leave beyond a calendar year may be allowed. No encashment of leaves is allowed.

12. The appointee is not entitled to any TA for joining the appointment.

13. The appointee will exercise the financial DOP of General Manager (Engg.) and he will be responsible for the powers exercised by him.

14. If any declaration given or information furnished by him/her proves false or if he/she is found to have willfully suppressed any material information, his/her appointment is liable to be terminated without prejudice to anyone. Any other action as deemed necessary by the Corporation may be taken against the appointee.

15. The appointment can also be terminated at any time, without assigning any reason by the Corporation or the appointee, by giving one month's notice or by paying one month's lumpsum remuneration.

16. Other conditions of appointment will be governed by relevant rules and orders issued from time to time by GOI/FCI, with regard to appointment of superannuated employees on re-employment basis.

17. Medical examination: After issuance of offer of appointment, the candidate will have to submit medical fitness certificate issued by Government Hospital.

18. Selection process: The shortlisted applicants will have to appear before Interview Board, constituted by FCI, on the date and time communicated in advance.

19. Any dispute with regard to re-employment against this advertisement will be subjected to exclusive jurisdiction of Courts in Delhi.

ANNEXURE-III

DECLARATION OF FIDELITY AND SECRECY

(Under Section 38 of the Food Corporation Act, 1964)

I, ______________________ declare that I will faithfully, truly and to the best of my judgement, skill and ability execute and perform the duties which are required of me as General Manager (Engg) (appointed on re-employment basis) at New Delhi, under the Food Corporation of India and which properly relate to the Office or position in or in relation to that of Corporation held by me.

I further declare that I will not communicate or allow to be communicated to any person not legally entitled there to an information relating to the affairs of any person having any dealing with the said Corporation nor I will allow any person not legally entitled as aforesaid to inspect or have access to any books or documents belonging to, or in the possession of the said Corporation and relating to the business of the said Corporation or the business of any person having any dealing with the said Corporation.

(Signature of the Candidate)

Name:______________________

Address:_____________________

____

____

भारतीय खाद्य निगम
मुख्यालय
16-20, बाराखंबा लेन
नई दिल्ली-110001

पुनर्नियोजन के आधार पर महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग) के पद पर केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सेवानिवृत्त सिविल इंजीनियरों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन

भारतीय खाद्य निगम में महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग) के 02 (दो) पदों को पुनर्नियोजन के आधार पर केंद्र सरकार/राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सेवानिवृत्त हुए और निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले सिविल इंजीनियरों से अनुलग्नक-। में दिए गए निबंधन एवं शर्तों के अनुसार आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

1	आयु	दिनांक **31.10.2022** की स्थिति के अनुसार 61 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए।
2	शैक्षिक योग्यता	अपेक्षित न्यूनतम योग्यता - **महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग)** **शैक्षिक योग्यता और कार्य अनुभव:** **अनिवार्य:** (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या समकक्ष। (2) वे अधिकारी जो वेतन स्तर 13 (सीडीए)/ई-7 (आईडीए) पर केंद्र/राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सेवानिवृत्त हुए हैं और जो संबंधित संगठन में सिविल इंजीनियर के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्हें एमएसीपी के कारण दिए गए वेतनमान पर पुनर्नियोजन की पात्रता के लिए विचार नहीं किया जाएगा। **वांछनीय:-** (1) केंद्र/राज्य सरकार/औद्योगिक प्रतिष्ठान/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सिविल इंजीनियरिंग प्रभाग का प्रभार देखने वाले और

		परियोजनाओं की योजना और निष्पादन का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

इच्छुक उम्मीदवार अपने शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र, सेवानिवृत्ति आदेश और अन्य संबंधित दस्तावेजों आदि की सत्यापित प्रतियों के साथ-साथ निर्धारित प्रोफार्मा (अनुलग्नक- II) (केवल टंकित-लिखित प्रारूप में) में आवेदन जमा कर सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज़ों सहित आवेदन समाचार-पत्र में विज्ञापन प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भारतीय खाद्य निगम, 16-20 बाराखंभा लेन, नई दिल्ली -110001 को पहुँच जाएं।

विवरण तथा निबंधन एवं शर्तें (सभी अनुलग्नकों सहित) एफसीआई की वेबसाइट http://www.fci.gov.in पर देखी जा सकती हैं।

उप महाप्रबंधक (स्था.)

अनुलग्नक-II

भारतीय खाद्य निगम में पुनर्नियोजन के आधार पर महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग) की नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र

फोटो के लिए

1	दिनांक .... के समाचार-पत्र में विज्ञापन						
2	पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)						
3	पिता/पति का नाम:						
4	जन्मतिथि:						
5	सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति की तिथि:						
6	दिनांक **31.10.2022** को आयु:						
7	पूरा स्थायी पता:						
8	पत्राचार का पूरा पता:						
9	टेलीफोन/मोबाईल नं.:						
10	ईमेल आई डी:						
11	अंतिम आहरित वेतन (एलपीसी और पीपीओ की प्रतियां भी संलग्न करें)						
12	उस विभाग का नाम जहां से अधिकारी सेवानिवृत्त हुआ है:						
13	क्या केंद्र/राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है:						
14	आहरित पेंशन:						
15	संगठन जहां उम्मीदवार ने सेवा दी है (अलग शीट संलग्न करें)	वेतनमान	वेतन	कब से	कब तक	पद नाम	किए गए कार्य की प्रकृति
16	सेवानिवृत्ति के समय धारित पद और वेतन स्तर (पेंशन						

	आदेश की प्रति के साथ संलग्न किया जाने वाला अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाएं)	
17	नियुक्ति की तिथि:	
18	तैनाती का पसंदीदा स्थान अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर/ चेन्नई/ मुंबई/कोलकाता/गुवाहाटी	
19	सतर्कता स्थिति	पिछले कार्यालय से सतर्कता अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाए

20. उक्त नियुक्ति के लिए आपकी उपयुक्तता के समर्थन में, अतिरिक्त संगत जानकारी, यदि कोई हो तो, कृपया एक अलग शीट संलग्न करें।

स्थान:
दिनांक:

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर

घोषणा

मैं, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/ करती हूँ कि उपरोक्त दिया गया विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मैं समझता/ समझती हूँ कि चयन/साक्षात्कार/नियुक्ति से पहले या बाद में किसी भी समय किसी भी जानकारी के गलत या झूठे/अपूर्ण या अपात्रता पाए जाने की स्थिति में, मेरी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाए और मैं, भारतीय खाद्य निगम के निर्णय से बाध्य होऊंगा/ होऊंगी । मैंने दिशा-निर्देशों को पढ़ लिया है और पुनर्नियोजन के लिए सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।

स्थान :

दिनांक:

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

आवेदक का पूरा नाम:____________________

<u>अनुलग्नक-।</u>

केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सेवानिवृत्त इंजीनियरों की पुनर्नियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु निबंधन एवं शर्तें

1. केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सेवानिवृत्त होने वालों को पहले एक साल के लिए पुनर्नियुक्ति दी जाएगी ।

2. सेवानिवृत अधिकारी के पुनर्नियुक्ति को संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर एक वर्ष और 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तैनाती का स्थान दिल्ली/एनसीआर/चेन्नई/मुंबई/ कोलकाता/गुवाहाटी होगा। छुट्टियों को

छोड़कर सभी सप्ताह के दिनों (सोमवार से शुक्रवार) में कार्य करने का समय 0930 बजे से 1800 बजे तक रहेगा ।

3. नियुक्त व्यक्ति को सतर्कता के दृष्टिकोण से मुक्त होना चाहिए और संबन्धित कार्यालय/ कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी से सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

4. नियुक्त व्यक्ति भा.खा.नि के साथ गोपनीयता का करार करेगा जिसमें नैतिकता और सत्यनिष्ठा का खंड होगा । **(अनुलग्नक.III)**

5. नियुक्त व्यक्ति सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेगा। सक्षम प्राधिकारी के पास आवश्यकता पड़ने पर कोई भी कार्य सौंपने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। ऐसे कार्यों के मामले में कोई अतिरिक्त/अतिरिक्त भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा ।

6. नियुक्त व्यक्ति भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, चिकित्सा उपचार, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि जैसे किसी भी लाभ या नियमित आधार पर नियुक्त सरकार / भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध किसी भी अन्य लाभ का पात्र नहीं होगा ।

7. नियुक्त व्यक्ति का किसी पद पर नियमित नियुक्ति का कोई दावा या अधिकार नहीं होगा ।

8. सरकारी क्षेत्र के सेवानिवृत्त अधिकारियों के मामले में यदि नियुक्त व्यक्ति सीडीए पैटर्न से सेवानिवृत्त हुआ है तो वह मूल वेतन के बराबर एकमुश्त राशि आहरित करेगा, जो कि वह अधिवर्षिता के समय आहरित कर रहा था, जिसे उसके द्वारा आहरित मूल पेंशन से घटा दिया जाएगा अथवा यदि अधिकारी सीपीएसई के आईडीए वेतनमान के साथ सेवानिवृत्त हुआ है तो वह रु.80,000 / - प्रति माह निश्चित पारिश्रमिक के तौर पर आहारित करेगा ।

9. केंद्र सरकार/राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य कोई महंगाई भत्ता, वेतन वृद्धि, एचआरए और अन्य कोई भत्ते स्वीकार्य नहीं होंगे ।

10. परिवहन भत्ता: नियुक्त व्यक्ति को निवास और कार्यस्थल के बीच आने-जाने के प्रयोजन के लिए परिवहन भत्ते के रूप में एक उचित और निश्चित राशि सेवानिवृत्ति के समय लागू दर से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार नियत की गई राशि नियुक्ति की अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी। हालांकि, नियुक्त व्यक्ति को आधिकारिक दौरे पर, यदि कोई है तो, भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक के पद की सेवानिवृत्ति के समय टीए/डीए की पात्रता के अनुसार अनुमय होगा ।

11. सेवा के प्रत्येक पूर्ण महीने के लिए 1.5 दिनों की दर से अनुपस्थिति की सवैतनिक छुट्टी की अनुमति दी जाएगी। एक कलैण्डर वर्ष से आगे छुट्टी के संचय की अनुमति दी जा सकती है। छुट्टियों के नकदीकरण की अनुमति नहीं है ।

12. नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण के लिए किसी भी टीए का पात्र नहीं होगा ।

13. नियुक्त व्यक्ति महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग) के वित्तीय डीओपी का प्रयोग करेगा और वह अपने द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के लिए उत्तरदायी होगा ।

14. यदि उसके द्वारा दी गई कोई घोषणा या दी गई जानकारी गलत सिद्ध होती है या पायी जाती है कि उसने जानबूझ कर किसी महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया है, तो उसकी नियुक्ति बिना किसी पूर्वाग्रह के समाप्त की जा सकती है। नियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध निगम द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली कोई अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है ।

15. बिना कोई कारण बताए निगम या नियुक्त व्यक्ति एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का एकमुश्त पारिश्रमिक देकर किसी भी समय नियुक्ति को समाप्त कर सकता है ।

16. पुनर्नियोजन आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में नियुक्ति की अन्य शर्तें भारत सरकार/एफसीआई द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक नियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगी ।

17. चिकित्सा जांच : नियुक्ति प्रस्ताव जारी होने के बाद, उम्मीदवार को सरकारी अस्पताल द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना होगा।

18. चयन प्रक्रिया: शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को अग्रिम रूप से सूचित तिथि और समय पर भाखानि द्वारा गठित साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना होगा।

19. इस विज्ञापन के खिलाफ पुनर्नियोजन के संबंध में कोई भी विवाद दिल्ली में न्यायालयों के विशेष क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

अनुलग्नक- III

(निष्ठा और गोपनीयता की घोषणा)

(खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 38 के अंतर्गत)

मैं, __________ घोषणा करता/करती हूँ कि भारतीय खाद्य निगम के अंतर्गत महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग) के रूप में पुनर्नियुक्ति पर मेरे द्वारा धारित उस निगम में या उसके संबंध में कार्यालय या पद जो उचित रूप से उसके कर्तव्यों से संबंधित हैं, का पालन करने के लिए आवश्यक पूर्ण निष्ठा और सत्यता के साथ अपने सर्वोत्तम निर्णय, कौशल और क्षमता के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा/ करूंगी।

मैं, साथ ही घोषणा करता/ करती हूं कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त नहीं है, उसे किसी भी व्यक्ति के निगम

से संबन्धित मामलों के संबंध में जानकारी संप्रेषित नहीं करूंगा और ना ही किसी अन्य को संप्रेषित करने की अनुमति दूंगा तथा मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे पूर्वोक्त कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त नहीं है, को उक्त निगम से संबंधित और उक्त निगम के मामलों से संबंधित अथक उक्त निगम के साथ कोई व्यवहार करने वाले किसी व्यक्ति के व्यवसाय संबंधी किन्हीं पुस्तकों या दस्तावेजों को निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दूंगा ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

आवेदक का पूरा नाम:___________________